

12.7.23

मंत्रालय अधिवासी की हस्ताक्षर के कारण पत्रों
आज पेशी पर ली गयी। बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद भी न तो
अपील न ही अपील अधिवक्ता उपस्थित
हुये। वकील इत्यादि की स्थिति है कि
प्रकरण में 14.7.21 से अपीलार्थ की
शुल्क प्रस्ताव का मुकाम कार्रवाई में
विचारार्थ है एवं स्वयं अपील अधिवक्ता
इस अपील की शुल्क की सूचना की गयी।
पत्र आदिनांक तक का मुकाम कार्रवाई की
स्टेप नहीं लिया गया। विधि के अनुसार
निर्णीत प्रकरण की शुल्क ले कर 30 दिवस
में का मुकाम कार्रवाई करनी होती है।
लिखाया अपील में का मुकाम कार्रवाई नहीं
करने पर परिश्रम अर्बेट खारिज की
जाती है पत्र फौजल शुभार की
आज गवर्नर से का की जाये। वाप
आका दाखिल दफ्तर हो।

(मुमिदल यदल)